वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः पू0वि0वि0/डी0एस0डब्ल्यू/1009/2023–24 **अति आवश्यक/समयबद्ध** दिनांक : 21.12.2023

प्रेषक,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक
विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रम,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः– **दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2023–24 हेतु दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 में जारी समय–सारणी एवं दिनांक 20.12.2023 को भागीदारी भवन, लखनऊ में आयोजित कार्यशाला/बैठक में लिए गए निर्णय एवं छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म आनलाईन भरने में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु दिशा–निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपर्यांकित विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सत्र 2023–24 के लिये शासन द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आनलाईन आवेदन फार्म भरने एवं जमा करने में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा बताये गये बिन्दू निम्नवत् हैः–

1–छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन फार्म दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक आनलाइन भरा जा सकता है।

2–छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवस में अर्थात दिनांक 13, जनवरी, 2024 तक।

3–सभी छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति आवेदन फार्म का फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने के बाद दो दिवस में सभी संलग्नको के साथ अपने–अपने विभाग में जमा करेंगे।

4–सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग में प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन फार्म दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 02:00 PM तक जमा करेंगे।

5–सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के वे छात्र/छात्रा जिन्होंने गत वर्ष में 50% अंक प्राप्त किए हो छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन फार्म भर सकते है।

6–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्रा जिन्होंने गत वर्ष में 33% अंक प्राप्त किए हों छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन फार्म भर सकते हैं।

7–जिन छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में फोटो, बार कोड अथवा कोई अन्य पूरित सूचना प्रिन्ट नहीं हो रही है वें अपने छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में ऊपर दाहिनी तरफ प्रदर्शित त्रुटि का निराकरण करने पर आवेदन कर पायेगे।

8–जिन छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म ब्लैंक प्रिन्ट हो रहे है उनके द्वारा किसी अन्य कोर्स में

छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरा गया है और वह कोर्स उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया हैं। इस तरह के छात्र/छात्रा एक वर्ष गैप के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके छात्रवृत्ति आवेदन फार्म को नियमानुसार रिसेट करने पर भर पायेगे।

9–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जिन छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म ब्लैंक प्रिन्ट हो रहे हैं उनके द्वारा किसी अन्य कोर्स में छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरा गया है और वह कोर्स उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके छात्रवृत्ति आवेदन फार्म को नियमानुसार रिसेट करने पर छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भर पायेगे।

10–जिन छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में बैंक डिटेल, आधार नं0 में त्रुटि प्रदर्शित हो रही हो वे सभी छात्र/छात्रा अपने सम्बन्धित बैंक में जाकर अपना बैंक खाता आधार नं0 से लिंक कराकर NPCI Mapper पर Map अवश्य करा लें अन्यथा की स्थिति में छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

11–बी0ए0एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम गत वर्ष 2022–23 में छात्रवृत्ति आवेदन फार्म नहीं भरने वाले छात्र/छात्रा वर्तमान सत्र 2023–24 में नवीनीकरण करने पर उनका फार्म ब्लैंक प्रिन्ट हो रहा है। वे गत वर्ष का अंक पत्र (तीन प्रतियों में) आवेदन फार्म में प्रदर्शित त्रुटि का प्रिन्ट आउट समस्या के निराकरण हेतु जमा करेंगे जिससे समाज कल्याण विभाग को समस्या से अवगत कराया जा सके।

12–किसी अन्य प्रकार की समस्या होने पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय

21/12/'23

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–
1–निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2–निजी सहायक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3–सहा0 कुलसचिव छात्रवृत्ति के सूचनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण